

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
राजस्व अपील सं० 209/2024 अनवान हीराराम व अन्य बनाम सत्यनारायण वगैरा
दिनांक 17.10.2024

उक्त अपील राज० भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी लोहावट (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 06/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.06.24 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंसं० 1-प्रार्थी-सत्यनारायण ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील लोहावट के ग्राम लोहावट विश्नावास स्थित खसरान नं० 236 रकबा 2.1137 हैक्टर भूमि का संपरिवर्तन से पूर्व पैमाईश फर्द दिनांक 21.3.24 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसमें तहसीलदार लोहावट से प्राप्त रिपोर्ट एवं पडौसी खसरान के खातेदार यथा ख०नं० 235-प्रेमकुमार, ख०नं० 163/3043-तेजपाल वगैरा व 212-लक्षणकुमार वगैरा तथा ख०नं० 237-इमरती की सहमति के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लोहावट को पैमाईश फर्द दिनांक 21.3.24 के मुताबिक पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस में अपील भीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त खसरान के धिपते मूल ख०नं० 217, 218 व 216 के रेकर्डेड खातेदार हैं। अपीलार्थी के ख०नं० 216, 217 फर्द पैमाईश में अंकित है, फिर भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया व एक तरफा फर्द तैयार करवायी गई है। प्रार्थी ने स्वयं के परिवार की भूमि को पडौसी खातेदार मानते हुए सहमति के आधार पर आदेश पारित करवा लिया। अन्य पडौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन निरस्त कर, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया।

रेस्पोंसं० 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील निस्तारित करने हेतु प्रस्तुत कर, उसमें उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट्स की अपील का मुख्य आधार यह है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाये जाने से सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अतः रेस्पों-प्रार्थी अपीलांट्स की मौजूदगी में वादग्रस्त खसरान की पैमाईश करवाकर दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करवाना चाहता है, अतः अपील रिमाण्ड करने का आग्रह किया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का आग्रह किया गया।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व गनन किया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी-रेस्पोंसं० 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदार-अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला। स्वयं रेस्पों-प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपीलांट्स की मौजूदगी में वादग्रस्त खसरान की पैमाईश करवाने तथा दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आशिक स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु अपीलांट्स एवं अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह-खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया। अधीनस्थ कार्यालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(अजीत सिंह राजावत)

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर